

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- एफ.1(80)परि./स्था./2017

दिनांक:-

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी के पद पर वर्ष 2018-19 की रिक्ति के लिए पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 22.05.2018 को सम्पन्न हुई।

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार निम्न को प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी (लेवल इन पे मैट्रिक्स एल-15) के पद पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

पदोन्नति वर्ष 2018-19

वर्ग	जन्म तिथि	रिक्ति तिथि
1. श्री अमृत लाल दैया सामान्य	01.01.1959	01.04.2018

पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति का लाभ इनके सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से काल्पनिक रूप से व कार्यभार संभालने की तिथि से नगद देय होगा। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

-sd-

(डॉ मनीषा अरोड़ा)

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा0)

एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.1(80)परि./स्था./2017/12568-674 दिनांक:-11/06/18
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अति. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अति. निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा0) एवं संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी
5. संबंधित कार्मिक.....
6. निजी पत्रावली।
7. रक्षित पत्रावली।

(सत्ताए खान)

उप परिवहन आयुक्त (प्रशा0)